# उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

द्वितीय तल, A&D ब्लाक किसान मण्डी भवन, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226016(उ0प्र0)
टेलीफोन:91–522–2723921 / 1, टोल फ्री नं0–18001805412 फैक्सः 91–522–2723921
ई–मेलः upbocboardlko@gmail.com


पत्रांक :– /भ0नि0बो0( )/2023 दिनांक : / /23

## कार्यालय ज्ञाप

कामकाजी महिलाओं कें यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कार्यस्थल पर महिलाओ के लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा–4 में प्राविधानित व्यवस्था केक्रम में कार्यालय सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में आन्तिरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती किरन मिश्रा, उप श्रमायुक्त / अपर सचिव, बोर्ड। | अध्यक्ष |
| 2 | श्रीमती आभा श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त / उप सचिव,बोर्ड। | सदस्य |
| 3 | श्री कीर्ति वर्धन, श्रम प्रवर्तन अधिकारी / सहायक सचिव, बोर्ड। | सदस्य |
| 4 | श्रीमती नीता गोठे, लेखाकार बोर्ड। | सदस्य |
| 5 | श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक लेखाकार, बोर्ड। | सदस्य |
| 6 | श्रीमती पुष्पा मौर्या, कम्प्यूटर आपरेटर, बोर्ड। | सदस्य |
| 7 | श्रीमती रेनू पाण्डेय, कम्प्यूटर आपरेटर, बोर्ड। | सदस्य |
| 8 | सुश्री माधुरी सिंह, स्टेनों, बोर्ड। | सदस्य |
| 9 | श्री विशाल, स्टेनों, बोर्ड। | सदस्य |
| 10 | श्रीमती रेनू मिश्रा, एक्ज्युक्युटिव डायरेक्टर, एसोशियेशन फार एडवोकेसी एण्ड लीगल इनीशिऐटिव, 407, डा0 बैजनाथ रोड़, न्यू हैदराबाद कालोनी, लखन्क्र (दूरभाष न0 0522–2782060 ईमेल : renu@aalilegal.org) | नामित सदस्य |

उक्त समिति का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा। उक्त समिति में कार्यस्थल पर महिलाओ के लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा–4 (2) (अ) के अन्तर्गत नामित अधिकारियों तथा संविदा कार्मिकों का इस समिति में कार्यकाल उनके वर्तमान पदों पर तैनात रहने तथा धारा–4 (2)(अ) के अन्तर्गत नामित गैर–सरकारी स्वैच्छिक संस्था को इस समिति में कार्यकाल 03 वर्ष अथवा उनके इस समिति से त्याग–पत्र देने की तिथि, जो भी पहले हो, तक होगा। उपरोक्त गठित समिति के किसी भी सदस्य का पद सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, मृत्यु या अधिनियम की धारा–4 (5) में दिये गये कारणों से रिक्त होता है, तो उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामित किया जायेगा।

उपरोक्त गठित समिति की बैठक वर्ष में प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार, अथवा समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की गयी तिथि एवं समय पर होगी एवं उस दिन अवकाश होने की

दशा में अगले कार्य दिवस में यथासमय होगी। समिति के पास यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में कोई शिकायत आने पर पूर्व सूचना देकर यह बैठक किसी भी कार्य दिवस पर की जा सकती है।

(निशा अनंत)
सचिव बोर्ड।

पत्रांक :– 2387–92 /भ0नि0बो0( 1325 )/2023 दिनांक : 21 07/23

**प्रतिलिपि**– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्रम आयुक्त उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
2. समिति के मा0 अध्यक्ष एवं समस्त मा0 सदस्यगण (नाम से) उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
3. कार्यालय उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण।
4. श्रीमती रेनू मिश्रा, एक्ज्युक्युटिव डायरेक्टर, एसोशियेशन फार एडवोकेसी एण्ड लीगल इनीशिऐटिव, 407, डा0 बैजनाथ रोड़, न्यू हैदराबाद कालोनी, लखनऊ (दूरभाष न0 0522–2782060 ईमेल : renu@aalilegal.org)।
5. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त उ0प्र0 एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी उ0प्र0।
6. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोगप्रमर को बोर्ड के वेब–पोर्टल पर अपलोड़ करने हेतु।

19/7/2023

(निशा अनंत)
सचिव बोर्ड।